रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2011/पौष 28, 1932
No. 23] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2011/PAUSA 28, 1932

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 31(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2000 को, जहां तक उसका संबंध महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र और महानिदेशक (मानकीकरण, परीक्षण और क्वालिटी प्रमाणन) के पदों से है, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र और महानिदेशक (मानकीकरण, परीक्षण और क्वालिटी प्रमाणन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र और महानिदेशक, मानकीकरण, परीक्षण और क्वालिटी प्रमाणन समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

~~3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे~~ संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	एचएजी स्केल रु. 67,000-79,000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	50 वर्ष तक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी) में मास्टर डिग्री या समतुल्य; (ii) सूचना प्रौद्योगिकी या कार्यान्वयन प्रणाली या ई-गवर्नेंस में 22 वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** (i) विज्ञान (भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी) में पी. एच. डी. (ii) कम्प्यूटर नेटवर्क में पांच वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-4, 37400-67000 रुपये + ग्रेड वेतन 10000 रुपये में सात वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है । ऐसे वैज्ञानिक 'जी' जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है उन पर भी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा । यदि विभागीय वैज्ञानिक 'जी' का नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । (ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।) **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **भूतपूर्व सैनिकों के लिए :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास विहित अनुभव और अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है । तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में भी विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग —अध्यक्ष 2. सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग —सदस्य 3. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य 4. सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. महानिदेशक, (मानकीकरण, परीक्षण और क्वालिटी प्रमाणन)	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4 में 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 10000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से कम (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री या समतुल्य । **वांछनीय :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या प्रौद्योगिकी में पी.एच.डी. या समतुल्य; **अनुभव : आवश्यक :** मास्टर डिग्री धारण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पंद्रह वर्ष का अनुभव और इलेक्ट्रानिक उत्पादों में अंतर्विष्ट मानकीकरण, क्वालिटी आस्वासन और विश्वसनीयता के क्षेत्र में बैचलर डिग्री धारण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अठारह वर्ष का अनुभव जिसमें से तकनीकी प्रयोगशालाओं के प्रबंध करने में ज्येष्ठ जिम्मेदार हैसियत में पांच वर्ष का अनुभव हो । **वांछनीय :** (i) इलेक्ट्रानिक्स का उत्पादन या अनुसंधान और विकास में अनुभव; (ii) उत्पादों से संबंधित अनुभव जिसके अंतर्गत विदेशी सहयोग और सरकारी विभागों और उद्योगों से सम्पर्क करना भी है; (iii) उद्योगों की सेवा के विपणन का अनुभव; (iv) इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों की क्वालिटी सुधार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्वालिटी आश्वासन पद्धतियों के नियोजन और उन्हें आरम्भ करने का अनुभव ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन ।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड/वेतनमान, 37400-67000 रुपये + ग्रेड वेतन 8900 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है या समतुल्य; या (iii) जिन्होंने वेतनमान 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है या समतुल्य; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं । **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **भूतपूर्व सैनिकों के लिए :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास विहित अनुभव और अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है । तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में भी विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. सचिव या अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग —अध्यक्ष 2. अपर सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य 3. अपर सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य 4. अपर सचिव या समतुल्य अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 1(2)2010-कार्मिक-III]

16GI/10-2

एन. रवि शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2011

G.S.R. 31(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Information Technology Group 'A' Posts Recruitments Rules, 2000, in so far as those relate to the posts of Director General, National Informatics Centre and Director General, (Standardisation, Testing and Quality Certification), the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director General, National Informatics Centre and Director General, (Standardisation, Testing and Quality Certification) in the Ministry of communications and Information Technology, Department of Information Technology, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology, Director General, National Informatics Centre and Director General, Standardisation, Testing and Quality Certification Group 'A' Post Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay scale.**—The number of post, its classification and the pay band/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected there with shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for personnel belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Director General, National Informatics Centre	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	HAG scale Rs. 67000-79000	Not applicable	Not applicable	Upto 50 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed

(7)
for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Educational and other qualifications for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Masters Degree in Science (Physics or Electronics or Computer Science or Information Technology) or Degree in Engineering or Technology from a recognised University or equivalent; (ii) twenty two years experience in information technology or system implementation or e-Governance. **Desirable :** (i) Ph.D in Science (Physics or Electronics or Computer Science or Information Technology) or Engineering or Technology. (ii) Five years experience in computer networks.	Not applicable	One year for direct recruits

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By deputation (including short-term contract)/ promotion failing which by direct recruitment.	Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking or Autonomous bodies,— (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with seven years regular service in the Pay Band-4, Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay of Rs. 10,000 or equivalent; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. (The departmental Scientist 'G' with seven years regular service in the grade shall be considered along with those considered for deputation. In case the departmental Scientist 'G' is selected for appointment, the post shall be deemed to have filled by promotion.)

(12)
(The departmental officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). **Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2 :** The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **For Ex-Serviceman :—** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (also for Promotion and confirmation) :— 1. Secretary, Department of Information Technology —Chairman 2. Secretary, Department of Personnel and Training —Member 3. Secretary, Department of Science and Technology —Member 4. Secretary, Department of Bio-Technology. —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Director General, Standardisation, Testing and Quality Certification).	1*(2011) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	PB-4, Rs. 37,400-67,000+Grade pay Rs. 10000.	Not applicable	Not applicable	Below 50 years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,

(7)
Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)
Masters Degree or Bachelor's Degree in Engineering or Technology from a recognised University or Institute or equivalent. **Desirable** :—Ph.D in Science or Technology from a recognised University or Institute or equivalent. **Experience :** **Essential** : Experience of fifteen years for the candidates holding Master's Degree and eighteen years for the candidates holding Bachelor's degree in the field of standardisation, Quality assurance and reliability pertaining to electronics products; out of which five years experience in a senior responsible position managing technical laboratories. **Desirable :** (i) Experience in production or research and development in electronics; (ii) experience in dealing with projects involving foreign collaboration and liaison with Government Departments and Industries; (iii) experience of marketing of service to industries; (iv) experience of planning and introduction of international quality assurance practices for quality improvement of electronics products.	Not applicable	One year for direct recruits.

(11)	(12)
By deputation (including short-term contract)/ failing which by direct recruitment. For ex-serviceman-Deputation/re-employment.	Deputation (including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking or Autonomous bodies,— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band/scale of pay of Rs. 37400-67000 + Grade pay of Rs. 8900 or equivalent; or

(12)

(iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 37400-67000 + Grade pay of Rs. 8700 or equivalent; and

(b) possessing qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

Note 1 : The Departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 3 : The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

For Ex-Serviceman :—

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed above shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter, they may be continued on re-employment.

(13)		(14)
The Departmental Promotion Committee (also for Promotion and Confirmation) consisting of :—		Not applicable.
1. Secretary or Additional Secretary, Department of Information Technology.	—Chairman	
2. Additional Secretary, Department of Science and Technology.	—Member	
3. Additional Secretary, Department of Bio-Technology.	—Member	
4. Additional Secretary, or equivalent Officer, Department of Information Technology.	—Member	

[F. No. 1(2)/2010-Pers.III]

N. RAVI SHANKER, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.